उत्तर प्रदेश शासन
विकलांगजन विकास अनुभाग-2

संख्या- 1279/65-2-2016-12(विविध)/2010

लखनऊ : दिनांक : 07 अक्टूबर , 2016

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश में निःशक्तजन को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान दिये जाने के लिए निम्नवत् नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1 – नाम — उत्तरप्रदेश में निःशक्तजन को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान नियमावली, 2016

2 – प्रारम्भ — यह नियमावली तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

3 – परिभाषा — जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

(i) नियमावली का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में निःशक्तजन को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान नियमावली, 2016 से है।

(ii) निःशक्तजन का तात्पर्य निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 की धारा 2-न में दी गयी परिभाषा के अनुसार उस व्यक्ति से है जिसमें न्यूनतम 40 प्रतिशत की निःशक्तता किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी हो।

(iii) "निःशक्तता" का अर्थ निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 की धारा 2-झ में परिभाषित निःशक्तजन से है।

(iv) "मानसिक रूग्णता" से मानसिक मंदता से भिन्न कोई मानसिक

विकार अभिप्रेत है।

(v) "मानसिक मंदता" से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति के चित्त की अवरूद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था जो विशेष रूप से वृद्धि की अवसामान्यता द्वारा अभिलक्षित होती है।

(vi) अनुदान का तात्पर्य इस नियमावली के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले भरण-पोषण अनुदान से है।

(vii) निदेशक का तात्पर्य विकलांग जन विकास निदेशालय, उत्तर प्रदेश के निदेशक से है ।

(viii) जिला विकलांग जन विकास अधिकारी का तात्पर्य सम्बन्धित जनपद के जिला विकलांग जन विकास अधिकारी से है।

4 – उद्देश्य एवं प्रयोजन — इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे निःशक्तजन के भरण-पोषण के लिये अनुदान की सहायता देना है जिनके परिवार की आय उनके भरण-पोषण हेतु पर्याप्त न हो।

5 – अनुदान की दर — इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की दर रूपये 300/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह होगी जोकि समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दर मान्य होगी।

6 – पात्रता — अनुदान हेतु निम्न पात्रता रखने वाले निःशक्तजन पात्र होंगे :-

(i) ऐसे निःशक्तजन जिनमें न्यूनतम 40 प्रतिशत की निःशक्तता राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई हो।

(ii) जो निःशक्तजन उत्तर प्रदेश के निवासी है एवं वास्तव में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे है, वे अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

(iii) वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला

व्यक्ति इस नियमावली के अन्तर्गत भरण-पोषण अनुदान के लिये पात्र नहीं होगा।

(iv) राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति **पात्र नहीं होंगे।**

लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

7 - **आय** गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/- तथा **शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले निःशक्तजन अनुदान के पात्र होंगे।**

अनुदान प्राप्त करने हेतु जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

8 - **आयु** यह अनुदान 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र निःशक्तजन को प्रदान किया जायेगा ।

9 - **अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध** अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध निम्नानुसार होंगे :-

(i) प्रार्थना-पत्र शहरी क्षेत्र में तहसील कार्यालय में तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जायेगा तथा आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में आवेदक को उसके बैंक खाते के विवरण के प्रमाण में पास बुक की छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।

(ii) इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में अनुदान उपजिलाधिकारी द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र के अनुदान संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। अनुदान राशि के भुगतान हेतु ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी, के माध्यम से जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को अग्रसारित किये जायेंगे।

यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम अनुदान हेतु ग्राम पंचायत प्रस्तावित नहीं करती है तो एक माह तक प्रतीक्षा के पश्चात खण्ड विकास अधिकारी जॉच कराकर उन्हें अनुदान स्वीकृत कर सकते हैं।

(iii) जिला विकलांग जन विकास अधिकारी अपने जनपद में प्रत्येक वर्ष अपने कार्यालय में प्रार्थना-पत्रों के प्राप्त होने पर उन्हें सूचीबद्ध करेंगे एवं लाभार्थियों को अनुदान दिये जाने में प्रथम आवक एवं प्रथम पावक का सिद्धान्त लागू होगा जिसमें शासनादेशों के अर्न्तगत ही विचलन मान्य होगा।

(iv) इस योजना हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र अपूर्ण होने के आधार पर निरस्त नहीं किये जायेंगे बल्कि जो अभिलेख/प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं, उन्हें आवेदन-पत्र प्राप्त करने वाले कार्यालय द्वारा पूर्ण कराया जायेगा।

(v) अपात्र व्यक्तियों के सम्बन्ध में अनुदान निरस्तीकरण हेतु जिला विकलांग जन विकास अधिकारी कार्यालय में एक रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमें ऐसे निरस्त लाभार्थियों का विवरण रखा जायेगा।

(vi) नवीन अवेदकों को अनुदान की धनराशि का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर देय होगा तथा लाभार्थी को पूर्व की बकाया (एरियर) धनराशि देय नहीं होगी।

(vii) अनुदान की धनराशि यथा-सम्भव चार त्रैमासिक किश्तों में सम्बन्धित लाभार्थी के खाते में प्रेषित की जायेगी। शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश के अनुसार अनुदान देय होगा।

(viii) अनुदान का भुगतान बजट उपलब्ध होने की दशा में अनुदान स्वीकृत होने की तिथि से देय होगा अन्यथा आगामी वित्तीय वर्ष में जब कभी नवीन स्वीकृतियों हेतु बजट उपलब्ध होगा, उस तिमाही से प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर भुगतान की जायेगी किन्तु आय-प्रमाण पत्र 01 वर्ष से अधिक पुराना हो जाने पर नवीन आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करके अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

(ix) इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का रजिस्टर विकास खण्डवार/ग्रामपंचायतवार तथा नगरीय क्षेत्रवार/वार्डवार तैयार किया जायेगा जिसमें लाभार्थियों का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध रहेगा । साथ ही

लाभार्थीवार यह भी अंकित किया जायेगा कि उसे अनुदान की धनराशि कब प्रेषित की गई । यदि वह मृतक/अपात्र हो जाता है तो उसकी सूचना भी अंकित की जायेगी ।

(x) **अनुदान प्राप्त कर रहे लाभर्थियों के सत्यापन का कार्य जिलाधिकारी** तहसील/विकास खण्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष करायेंगे।

(xi) अनुदान-ग्रहीता की मृत्यु होने अथवा अपात्रता की श्रेणी में आने की **संगत किस्त के बाद अनुदान देना बन्द कर दिया जायेगा।**

(xii) यदि कोई व्यक्ति फर्जी अभिलेख, गलत सूचना, लाभार्थी की मृत्यु या अन्य कारण से अनुदान प्राप्त कर लेता है तो सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की तरह 'पब्लिक मनी (रिकवरी आफ ड्यूज) ऐक्ट, 1965' की धारा-3 की उपधारा (ए) (11) के अन्तर्गत की जायेगी ।

(xiii) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-209 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रान्ट का आहरण, भुगतान एवं तत्सम्बंधी **रजिस्टर आदि की प्रक्रिया तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1** के अध्याय XVI-A के नियमों का पालन किया जायेगा।

(xiv) इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निदेशक विकलांग जन विकास द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

(xv) इस योजना के अन्तर्गत किसी भी विवादास्पद विषय पर प्रमुख सचिव, विकलांग जन विकास विभाग उ0प्र0 शासन का निर्णय अन्तिम होगा तथा सभी को मान्य होगा ।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

विकलांगजन विकास विभाग उत्तर प्रदेश

निःशक्तजन को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के लिए

आवेदन पत्र

पासपोर्ट साईज फोटो

नोटः आवेदन पत्र को केवल वे ही व्यक्ति भरें जो राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के किसी विभाग से अनुदान सहायता भत्ता न प्राप्त करते हों एवं उनकी शारीरिक व आर्थिक स्थिति सम्बन्धित नियमावली में दिये गये नियमों के अनुकूल हों। आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर वांछित विवरण सूचना दी जानी चाहिये। आवेदन पत्र ग्राम पंचायत/तहसील के कार्यालय में जमा किये जायेंगे।

1. **प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम**.....
2. **वर्तमान पताः-**

   मकान न0.....ग्राम/मोहल्ला.....

   ग्रामपंचायत/वार्ड.....**ब्लाक/नगर** .....

   तहसील/जनपद.....

   आवेदक का आधार कार्ड संख्या.....
3. स्थाई पताः- मकान न0.....ग्राम/मोहल्ला.....

   ग्रामपंचायत/वार्ड.....ब्लाक/नगर.....

   तहसील/जनपद.....

4. (अ) जातिः.....(ब) जाति प्रमाण पत्र क्रमांकः.....
5. प्रार्थी/प्रार्थिनी की जन्मतिथि .....
6. **प्रार्थी/प्रार्थिनी की आयु वर्षों में**.....
7. **पिता/पति का नाम**.....
8. प्रदेश जिसके निवासी हैं.....उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि.....
9. प्रार्थी/प्रार्थिनी की निःशक्तता का प्रकार तथा प्रतिशत.....
   (निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें)
10. (अ) प्रार्थी/प्रार्थिनी की मासिक आय.....(ब) आय प्रमाण पत्र क्रमांक.....
11. प्रार्थी/प्रार्थिनी को क्या अन्य सहायता/अनुदान/पेंशन राज्य सरकार, भारत सरकार, गैर सरकारी संगठन से प्राप्त होती है यदि हॉ तो उल्लेख करें.....
12. बैंक का नाम वा शाखा.....एवं

    बैंक का खाता संख्या..... आई0एफ0एस0सी0 कोड.....

प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा शपथ-पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि:-

(क) मुझे शासन द्वारा कोई अन्य सहायता या पेंशन नहीं मिलती है।

(ख) प्रार्थना-पत्र में जो भी सूचनाएं दी गयी हैं ये सत्य हैं यदि गलत सिद्ध हों तो अनुदान की धनराशि सरकार की सम्बन्धित नियमावली के अनुसार वापस करने के लिए बाध्य होऊँगा/होऊँगी।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

खण्ड विकास अधिकारी.....की आख्या

आवेदन पत्र तथा ग्राम पंचायत के पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव को परीक्षणोपरान्त अग्रसारित किया जाता है।

दिनॉकः-

खण्ड विकास अधिकारी के
हस्ताक्षर तथा नाम

उपजिलाधिकारी.....की आख्या

आवेदन पत्र के परीक्षण तथा जॉच के उपरान्त पेंशन स्वीकृत।

दिनॉकः-

उप जिलाधिकारी के
हस्ताक्षर तथा नाम

जिला विकलांग जन विकास अधिकारी की आख्या

आवेदन पत्र तथा प्रस्ताव पूर्ण एवं संतोषजनक पाया गया तथा दिनॉक..... से रू0..... ..... प्रति माह की दर से अनुदान दिया जाना प्रारम्भ किया गया।

जिला विकलांग जन विकास अधिकारी
के हस्ताक्षर तथा नाम

दिनॉकः-

टिप्पणीः विकलांग भरण-पोषण अनुदान के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैः-

1. प्रार्थी/प्रार्थिनी का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र
2. पास बुक की छाया-प्रति (जिसमें नाम तथा खाता संख्या स्पष्ट प्रदर्शित हों)
3. आधार कार्ड की छायाप्रति।